संख्या-4/2015/111/अड़तीस-5-2015-36 सम/2013

प्रेषक,

अरुण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 09 फरवरी, 2015

विषयः-प्रदेश में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण की नीति के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल आपूर्ति हेतु निर्मित ग्रामीण पेयजल योजनाओं का पूर्ण लाभ ग्रामीण जनता को मिल सके तथा सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके, इसके लिए निर्मित ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सुस्पष्ट विस्तृत नीति की आवश्यकता के दृष्टिगत "ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के सफल संचालन हेतु अनुरक्षण की नीति तैयार किये जाने" विषयक एजेण्डा उत्तर प्रदेश के विकास हेतु शासन का एजेन्डा वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत सूत्र संख्या-164 में सम्मिलित किया गया था। इसके अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु विस्तृत नीति तैयार की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु तैयार की गयी नीति की प्रति संलग्न करके जारी की जा रही है।

3- अतः अनुरोध है कि कृपया संलग्न नीति के प्राविधानों के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
(अरुण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 4/2015/111(1)/अड़तीस-5-2015, तददिनांक.

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त प्रमख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा/ झांसी मण्डल, झांसी।
9. समस्त जिला विकास अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संलग्नकः

उत्तर प्रदेश ग्रामीण पेयजल पाइप जलापूर्ति योजनाओं के लिए संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2015:

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत निरन्तर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु निर्मित पाइप पेयजल योजनाओं का समुचित संचालन एवं अनुरक्षण अति आवश्यक है। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पाइप पेयजल की योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण निम्न विभागों/संस्थाओं द्वारा किया जा रहा हैः

1. पंचायती राज विभाग - एकल ग्राम/मजरा पाइप पेयजल आपूर्ति
2. उत्तर प्रदेश जल निगम - बहुग्राम योजनाएं (राज्य के मैदानी क्षेत्रों में)
3. जल संस्थान - बहु ग्राम योजनाएं (बुन्देलखण्ड क्षेत्र में)

उद्देश्यः	प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं का वांछित मानकों के अनुरूप संचालन एवं अनुरक्षण कर ग्रामवासियों को शुद्ध, स्वच्छ एवं पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराना।
शीर्षक	ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2014
कार्यक्षेत्र	यह नीति उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की सभी पाइप पेयजल योजनाओं पर लागू होगी। साथ ही यह उन सभी विभागों/संस्थाओं पर भी लागू होगी जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित है। इन विभागों/संस्थाओं द्वारा भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के वेबसाइट(www.mdws.nic.in) पर उपलब्ध पुस्तिका (O&M Manual) के निर्देशों का पालन किया जाएगा।
परिभाषा	• **संचालन एवं अनुरक्षण नीति'** का तात्पर्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण से है। संचालन का अर्थ पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन तथा अनुरक्षण का अर्थ इन योजनाओं के समुचित रख-रखाव से है। • **'संचालन'** का तात्पर्य विविध कुशल व्यक्तियों द्वारा पेयजल योजनाओं के विभिन्न उपादानों यथा हेडवर्क, ट्रीटमेंट प्लांट, मशीन एवं उपकरण कन्वेयिंग मेन्स, सर्विस रिजर्वयर एवं जल वितरण प्रणाली आदि के प्रतिदिन संचालन का कार्य नियमित रूप से किया जाना है। इसमें वार्ड एवं वाच का दायित्व भी सम्मिलित है। • **'अनुरक्षण'** का तात्पर्य स्ट्रक्चर, प्लांट, मशीन एवं उपकरण तथा अन्य सुविधाओं को आदर्श रूप में क्रियाशील रखने से है। इसमें सुधार/निरंतर अनुरक्षण तथा ब्रेकडाउन अनुरक्षण भी सम्मिलित है। • **'ग्राम सभा'** का तात्पर्य उस ग्राम पंचायत में निवास करने वाले व्यक्तियों के निकाय से है, जिनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित है। • **ग्राम पंचायत** का तात्पर्य ऐसी स्वशासी संस्था से है जिसका गठन उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम 1947 तथा भारतीय संविधान (73वी संविधान संशोधन अधिनियम 1992) के प्राविधानों के अनुसार किया गया हो। • **'पंचायत क्षेत्र'** का अर्थ ग्राम पंचायत के भूभाग तथा कार्यक्षेत्र से है। • **'वी0डब्लू0एस0सी0'** का अर्थ ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति (Village Water and Sanitation Committee) से है। इस समिति का कार्यदायित्व ग्राम पंचायत के अन्तर्गत पेयजल एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सभी मामलों की देख-रेख करना है। • **'संचालन समिति'** का तात्पर्य एकल ग्राम योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति से है। • **'संयुक्त संचालन समिति'** का तात्पर्य बहुग्राम योजना के संदर्भ में एक ऐसी संयुक्त समिति से है जिसमें एक अध्यक्ष तथा प्रत्येक लाभार्थी पंचायतों के ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा नामित दो-दो व्यक्ति इसके सदस्य होंगे।

	◦ **'डी0डब्लू0एस0एम0'** अर्थात जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (District Water & Sanitation Mission-DWSM) प्रासंगिक राज्य अधिनियमों अथवा जिला पंचायत की विद्यमान व्यवस्था के अन्तर्गत गठित समिति है जो जनपद स्तर पर पेयजल से सम्बन्धित परियोजनाओं का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण करती है। ◦ **जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति** (District Water & Sanitation Committee- DWSC) का तात्पर्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की कार्यकारी समिति से है। ◦ **'एकल ग्राम योजना'** का तात्पर्य ऐसी पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति से संबंधित है जिससे केवल एक ग्राम पंचायत लाभान्वित होती है। ◦ **'बहु ग्राम योजना'** का अर्थ ऐसी पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति योजना से है जिससे एक से अधिक ग्राम पंचायतों की जनता लाभान्वित होती है। ◦ **'लाभान्वित जनसंख्या'** का अर्थ उस कुल जनसंख्या से है जिसके लिए योजना बनायी गयी है। ◦ **कमीशनिंगः** योजना में ओवरहेड टैंक, ट्यूबवैल तथा वितरण प्रणाली के निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त जलापूर्ति अंतिम बिन्दु तक पहुंचाना। ◦ **यूजर चार्ज** (Tariff) का तात्पर्य कोई भी वह शुल्क है जो पेयजल उपलब्ध कराने के एवज में वसूला जाता है।
सामान्य	(क) किसी पाइप पेयजल योजना के क्रियान्वयन से पूर्व उसकी ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। यही प्रणाली ग्राम में पेयजल की मांग का आंकलन करने में भी अपनाई जाएगी। (ख) पानी की गुणवत्ता से प्रभावित पंचायतों में पहली प्राथमिकता पाइप द्वारा पेयजल की योजना को दी जाएगी। (ग) इस प्रकार की योजनाओं के निरूपण में पेयजल स्रोत की आयु (निरंतरता) एवं विद्युत की उपलब्धता की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाएगा। (घ) संचालन एवं अनुरक्षण व्यय को नियंत्रण में रखने के उदेश्य से यथासम्भव बहुग्राम योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां तक सम्भव हो प्रत्येक योजना का निर्माण न्यूनतम 7500 लाभान्वित ग्रामीण आबादी, टेक्नो-इकोनोमिकल फिजिविलिटी तथा ग्राम पंचायत/ मजरो के बीच की दूरी आदि के तर्क संगत आधारों को ध्यान में रख कर किया जायेगा। (ड) ऐसी योजनाएं जो निर्धारित आयु को प्राप्त कर चुकी है अथवा अगले तीन वर्षों में पूर्ण करेंगी के जीर्णोद्धार, विस्तार एवं पुनर्गठन का प्रस्ताव चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। (च) योजना से पेयजल के घरेलू / व्यक्तिगत कनेक्शन को प्रोत्साहित करने के निमित्त कनेक्शन की लागत को परियोजना लागत में सम्मिलित किया जाएगा तथा लाभार्थियों से प्रतीकात्मक शुल्क (ज्वामद मिम) लिया जाएगा। (छ) सार्वजनिक नल (स्टैंडपोस्ट) केवल सार्वजनिक स्थानों यथा पंचायत भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, आंगनवाड़ी तथा प्राथमिक विद्यालय आदि पर ही लगाये जाएंगे।
संचालन एवं अनुरक्षण	(क) योजना का निर्माण, कमीशनिंग तथा संचालन व अनुरक्षण का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है। पाइप पेयजल योजना का सुचारू रूप से संचालन एवं अनुरक्षण के लिए पेयजल योजना का उत्तम डिजाइनिंग के साथ-साथ उच्च गुणवत्तायुक्त निर्माण भी आवश्यक है। पंचायतों को हस्तांतरित करने से पूर्व वर्तमान एवं नवनिर्मित पाइप पेयजल योजनाओं की कार्यशीलता एवं गुणवत्ता तथा अनुरक्षण योग्य होने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। (ख) पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण-कमीशनिंग के उपरान्त पंचायतीराज संस्थाओं (संचालन / संयुक्त

संचालन समिति) को हस्तांतरण के पूर्व उस योजना में कार्यदायी संस्था द्वारा प्रयुक्त निर्माण सामग्री की गुणवत्ता एवं हस्तांतरण प्रक्रिया के सम्बन्ध में स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (एस0ओ0पी0) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जारी किया जायेगा।

(ग) योजना प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण होने के उपरान्त पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दी जायेगी। ग्रामीण पेयजल योजना के हस्तांतरण की तिथि से पांच वर्ष तक का संचालन एवं रखरखाव का दायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा। इस पांच वर्ष के संचालन एवं रखरखाव पर होने वाले व्यय को परियोजना लागत में पृथक से इंगित किया जायेगा। संचालन एवं रखरखाव पर होने वाले व्यय की उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति प्रथमतः संचालन एवं अनुरक्षण निधि से तथा इसकी समाप्ति के उपरान्त एन0आर0डी0डब्लू0पी0 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले संचालन एवं अनुरक्षण मद की धनराशि से की जायेगी।

(घ)-(1) इन पांच वर्षो में निर्माण एजेन्सी द्वारा ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के दायित्व का निर्वहन करने हेतु ग्राम पंचायतों का गहन क्षमता संवर्धन किया जाएगा। पांच वर्ष के उपरान्त योजना के संचालन एवं अनुरक्षण का दायित्व संचालन/संयुक्त संचालन समिति का होगा।

(घ)-(2) ग्रामीण पेयजल योजना के हस्तान्तरण की तिथि से पांच वर्ष तक के संचालन एवं रखरखाव के दायित्व का निर्वहन न किये जाने पर सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी से संचालन एवं रखरखाव हेतु परियोजना लागत में इंगित धनराशि की वसूली की जायेगी तथा सम्बन्धित परियोजना के संचालन व रखरखाव हेतु कार्यदायी संस्था के उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार दण्डित करने की कार्यवाही भी की जायेगी।

(ड़) विशेष परिस्थितियों में संचालन समिति/संयुक्त संचालन समिति द्वारा योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के दायित्व का निर्वहन सन्तोषजनक न होने की स्थिति में पंचायतीराज विभाग द्वारा संस्तुति किये जाने पर ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालन एवं रखरखाव का कार्य निर्माण एजेन्सी को सौंपा जा सकता है।

(च) योजना के हस्तांतरण उपरान्त संचालन /संयुक्त संचालन समितियों द्वारा लाभार्थियों को प्राइवेट कनेक्शन देने के साथ- साथ यूजर चार्जेज एकत्र किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा समुदाय को पानी के कनेक्शन दिये जाने में सहयोग प्रदान किया जायेगा। बहुग्राम योजनाओं के संदर्भ में कार्यदायी संस्था द्वारा समुदाय को कनेक्शन देने में योजना के पूर्ण रूप से क्रियाशील होने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। यदि तकनीकी रूप से सम्भव हुआ तो योजना के किसी ग्राम में क्रियाशील हो जाने की स्थिति में उस ग्राम के लाभार्थियों को कनेक्शन दे दिये जाएंगे।

(छ) पाइप पेयजल योजनाओं के हस्तान्तरण के उपरान्त पंचायतीराज संस्थाओं/ संचालन समिति/ संयुक्त संचालन समिति द्वारा लिये जाने वाले यूजर चार्जेस की न्यूनतम दर शासनादेश संख्या- 1394/अड़तीस-5-14-27सम/2012 (ए), दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 के अनुसार रु0 50/- प्रतिमाह प्रति परिवार होगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार यूजर चार्जेस की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में सम्बन्धित संचालन समिति निर्णय ले सकती है।

(ज) संचालन/संयुक्त संचालन समितियों का गठन पाइप पेयजल योजना के अनुमोदन के उपरान्त किया जायेगा। सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा इन समितियों की बैठक/ सदस्यों के चुनाव आदि विषयों पर पहल की जायेगी। ये समितियां पाइप पेयजल योजना के निर्माण के दौरान कार्यो एवं सामग्री की गुणवत्ता का भी अनुश्रवण करेंगी।

(झ) एकल ग्राम पेयजल योजना हेतु उस ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति ही "संचालन समिति" का कार्य करेगी। बहुग्राम पेयजल योजना हेतु समस्त संबंधित ग्राम पंचायतों की "संयुक्त संचालन समिति" का गठन किया जाएगा। पंचायतीराज विभाग उक्त समिति/समितियों को वैधानिक स्वरूप देने की दृष्टि से उनके गठन व स्वरूप के सम्बन्ध में अपनी नियमावली में यथा आवश्यक संशोधन अथवा प्राविधान करेंगे। उक्त दोनों समितियों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में पृथक से शासनादेश निर्गत किये

	जायेंगे। (ञ) बहुग्राम पेयजल योजना के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा नामित दो-दो सदस्यों को मिला कर "संयुक्त संचालन समिति" का गठन किया जाएगा। इस समिति के अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष का चुनाव इसी समिति के सदस्यों में से किया जाएगा, किन्तु अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष दोनों किसी एक ही ग्राम पंचायत के नहीं होंगे। (ट) जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा सभी ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसमें योजना का स्थान, लाभान्वित जनसंख्या, व्यक्तिगत कनेक्शनों की संख्या, स्टैंड पोस्ट, प्राप्त राजस्व की स्थिति, पानी की गुणवत्ता तथा नलकूप की क्षमता से सम्बन्धित सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी।
वित्तीय प्राविधान	(क) एकल ग्राम पेयजल योजना तथा बहु ग्राम पेयजल योजना के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए संचालन एवं अनुरक्षण निधि होगी। (ख) उपरोक्त संचालन एवं अनुरक्षण निधि में एकल एवं बहुल ग्राम पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु पंचायतीराज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जाने वाली वित्त आयोग/ राज्य वित्त आयोग से सम्बन्धित संचालन एवं अनुरक्षण मद की धनराशि का एक तिहाई भाग सम्बन्धित ग्रामपंचायतों द्वारा ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु मात्राकृत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में राज्य वित्त आयोग की संस्तुति तथा वित्त विभाग की सहमति से मार्ग-दर्शी सिद्धान्त में वांछित संशोधन / निर्धारण कराने की कार्यवाही पंचायती राज विभाग द्वारा की जायेगी। उक्त मात्राकृत धनराशि का उपयोग संचालन समिति/ संयुक्त संचालन समिति द्वारा ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु किया जायेगा। यह व्यवस्था उन्हीं ग्राम पंचायतों के लिए होगी, जिनमें पाइप पेयजल योजना संचालित की जायेगी। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों से प्राप्त यूजर चार्जेज तथा समुदाय द्वारा नई पाइप पेयजल योजना हेतु दी गयी सहभागिता की धनराशि भी इसी निधि/खाते में जमा की जायेगी। (ग) एकल ग्राम पेयजल योजना के लिए ग्राम पंचायत की पेयजल से सम्बन्धित गाँव निधि खाता-प्ट (स्वजलधारा) में संचालन एवं अनुरक्षण की निधि जमा की जायेगी। उक्त गाँव निधि खाता-प्ट का संचालन (धनराशि का आहरण/व्यय) ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। (घ) बहुग्राम पेयजल योजना के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए पृथक से संचालन एवं अनुरक्षण निधि का सृजन किया जायेगा। उक्त संचालन एवं अनुरक्षण निधि में उपरोक्तानुसार जमा धनराशि का आहरण एवं व्यय हेतु निधि के पृथक बैंक खाते का संचालन "संयुक्त संचालन समिति" के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष संयुक्त रूप से किया जाएगा। (ड) "संचालन एवं अनुरक्षण निधि" का उपयोग समस्त मरम्मतों पर किया जायेगा। ग्रामीण पाइप पेयजल से सम्बन्धित विद्युत बिल का भुगतान भी इसी निधि/खाते से किया जाएगा। (च) जब पंचायतें अपने संचालन एवं अनुरक्षण निधि का उपभोग कर लेंगीं, उसके बाद ही राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालन एवं अनुरक्षण मद हेतु आवंटित बजट (केन्द्रांश एवं राज्यांश सहित) का उपयोग किया जायेगा, अर्थात् संचालन एवं रखरखाव पर होने वाले व्यय की उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति प्रथमतः संचालन एवं अनुरक्षण निधि से तथा इसकी समाप्ति के उपरान्त एन0आर0डी0डब्लू0पी0 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले संचालन एवं अनुरक्षण मद की धनराशि से की जायेगी। (छ) संचालन समिति/संयुक्त संचालन समिति द्वारा घरेलू/व्यक्तिगत कनेक्शन धारकों से एकत्र की गई यूजर चार्जेज की धनराशि सम्बन्धित संचालन एवं अनुरक्षण निधि में जमा किया जाएगा। (ज) संचालन एवं अनुरक्षण निधि का नियमित रूप से लेखा परीक्षण किया जाएगा। (झ) निर्माण संस्था द्वारा कर्मचारियों के वेतन, मरम्मत कार्य, सामग्री एवं अन्य व्यय को ध्यान में रखते हुए वार्षिक बजट बनाकर उसे सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराया जाएगा। (ञ) निर्माण एजेन्सी के पास संचालन एवं अनुरक्षण हेतु उपलब्ध धनराशि का उपयोग एजेन्सी द्वारा

	परिसम्पत्तियों के सृजन में नहीं किया जाएगा।
तकनीकी	(क) नई पाइप पेयजल योजनाओं का परिकल्प (डिजाइन) 8 घंटे पम्पिंग को ध्यान में रखते हुए बनाया जायेगा। (ख) जहां पर्याप्त विद्युत उपलब्ध नहीं है उन क्षेत्रों के लिए सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित परिकल्प बनाये जाएंगे। (ग) उचित स्वचालन व्यवस्था का विकास किया जायेगा जिससे कम से कम स्टाफ की नियुक्ति सम्भव हो। (घ) प्रत्येक ग्राम को बल्क मीटर के आधार पर पेयजल आपूर्ति की जायेगी। (ङ.) पेयजल योजनाओं के जल को गुणवत्ता परीक्षण हेतु जनपद स्तरीय प्रयोगशाला में भेजा जाना चाहिए। इस पेयजल को कम से कम इसके रंग, गंध, मैलापन, पी0एच0, टी0डी0एस0, क्लोरीन, नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन का परीक्षण किया जाएगा। यदि रसायनिक पैरामीटर के आधार पर बी0आई0एस0 द्वारा अनुमन्य मानकों पर पेयजल नमूना सही नहीं पाया जाता है तो उस स्रोत के जल का पुनः अन्य लैब में परीक्षण किया जाएगा। पुनः परीक्षण में भी यदि मानकों के अनुरूप पेयजल में अशुद्धियां पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में उस स्रोत के पानी को पीने हेतु प्रतिबंधित किया जाएगा। (च) आपूर्ति किये जाने वाले पेयजल का क्लोरिनेशन (Chlorination) सुनिश्चित किया जायेगा।
जनसहभागिता	जन सहभागिता सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्मित पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं का हस्तांतरण, एक समारोह आयोजित कर किया जायेगा।
अनुश्रवण एवं शिकायतों का निस्तारणः	जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा जनपद स्तर पर शिकायतों के निस्तारण हेतु एक प्रभावकारी तंत्र विकसित किया जाएगा। इसका प्रभारी एक सक्षम अधिकारी को बनाया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर संचालन समिति/संयुक्त संचालन समिति द्वारा शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा।

----------o----------